अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

05 16.02.2024	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 145 / 2023 राज्य बनाम् मजीद अंसारी, पिता–स्व० मोबारक अंसारी, निवासी–ग्राम कोकदोरो थाना पिठौरिया, जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1718 / डी०सी०बी० दिनांक 21.12.2023 द्वारा पे वर जमीन माफिया मजीद अंसारी, पिता–स्व० मोबारक अंसारी, निवासी–ग्राम कोकदोरो थाना पिठौरिया, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. पिठौरिया थाना कांड सं0 89 / 19 दिनांक 23.08.2019 धारा 341 / 323 / 406 / 420 भा०द०वि० 2. पिठौरिया थाना कांड सं0 124 / 21 दिनांक 02.10.2021 धारा 406 / 420 / 467 / 385 / 504 / 506 / 34 भा०द०वि० 3. पिठौरिया थाना कांड सं0 21 / 22 दिनांक 05.02.22 धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 325 / 307 / 34 भा०द०वि० 4. पिठौरिया थाना कांड सं0 125 / 17 दिनांक 01.09.2017 धारा–406 / 420 / 120बी० भा०द०वि० 5. पिठौरिया थाना कांड सं0 23 / 22 दिनांक 05.02.2022 धारा 354 / 376(2)(एन) / 376 / (2)(एफ) / 417 / 34 भा०द०वि० 6. सनहा सं०–27 / 23 दिनांक–19.09.2023 7. सनहा सं०–13 / 23 दिनांक–05.12.2023	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

8. सनहा सं०–16/23 दिनांक–07.12.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक मु० प्रथम, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2159/उपा०, दिनांक–21.12.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मजीद अंसारी, पिता–स्व० मोबारक अंसारी, निवासी–ग्राम कोकदोरो थाना पिठौरिया, जिला राँची एक सक्रिय भू–माफिया /असमाजिक तत्त्व है, जिसने अपने आपराधिक कृत्यो से राँची जिले के पिठौरिया, थाना क्षेत्रों में अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर एवं बाधा उत्पन्न कर लोक व्यवस्था को अशांत किया है। विपक्षी पूर्व में भी मारपीट, रंगदारी इत्यादि कांडों में वांछित रह चुके है तथा पुनः उसी प्रकार के अपराधिक कृत्यों में शामिल है। इसकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सन्हा दर्ज नहीं किया गया। विपक्षी के खिलाफ दर्ज सनहा उनके छवि को धूमिल करने की नियत से कुछ प्रतिद्वंदी के द्वारा साजिश के तहत थाना प्रभारी महोदय को गलत सूचना कर दर्ज कराया गया है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज सन्हा में कही गयी बातों से विपक्षी की किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज मामलो मे पिठोरिया थाना काण्ड सं०– 23/22 एवं पिठोरिया थाना काण्ड सं०– 21/22 में विपक्षी के नाम को हटाकर माननीय न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया गया है। इसी प्रकार पिठोरिया थाना काण्ड सं०– 125/17 में विपक्षी के ऊपर लगे आरोपों के सम्बन्ध में पिठोरिया थाना, राँची के जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच पड़ताल कर माननीय न्यायालय श्री एम.के. सिंह, जे.एम., राँची में फाइनल रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.04.2019 को स्वीकार करते हुए वाद को समाप्त कर दिया गया है। पिठोरिया थाना काण्ड सं०– 124/21 में उक्त वाद के जाँच उपरान्त उक्त वाद के वादी असरफ आलम के साथ विपक्षी का समक्ष मध्यस्थ, मध्यस्थता केन्द्र व्यवहार न्यायालय, राँची में दिनांक 10.01.2024 को आपसी समझौता हो

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गया है। पिठोरिया थाना काण्ड सं०–89/2019 में उक्त वाद के वादी जेयारत अंसारी के साथ अभियुक्त का समझौता हो चूका है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय, जुडिशियल कमिश्नर–IV, राँची के द्वारा ए०बी०पी०–2855/23 में अभियुक्त को दिनांक 18.10.2023 को जमानत दे दी गई है। उपरोक्त मामलो मे विपक्षी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं लगे थे और न ही विपक्षी उक्त मामलों में शामिल थे। उपरोक्त मामलो के अलावे विपक्षी के खिलाफ किसी अन्य थाने मे कोई मामला दर्ज नही है। विपक्षी पिछले 15 वर्षो से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए है एवं वर्ष 2010 से 2015 तक कांके जिला परिषद् सदस्य के पद पर निर्वाचित होकर अपनी सेवा दे चुके हैं। विपक्षी 2009 से अंजुमन कमिटी इस्लामपुर कोकदोरो, थाना–पिठोरिया, जिला–रांची का सदर के पद पर निर्वाचित होकर अपनी सेवा दे रहे हैं एवं विपक्षी पिछले 16 वर्षो से इसी पद पर रहकर सामाजिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधारणीय प्रतीत नही होता है। अतएव इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मजीद अंसारी, पिता–स्व० मोबारक अंसारी, निवासी–ग्राम कोकदोरो थाना पिठौरिया, जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.03.11 03:25:14 -07:00
Location: 192.168.1.5